"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016—— आषाढ़ 28, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016, (आषाढ़ 28 शक 1938)

क्रमांक-7830/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	आई. एस. बी. एम. यूनिवर्सिटी	अल्फा फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (1950 का सं. 29) के अधीन स्वीकृत सोसाइटी पंजीयन क्र.-एफ/18944/ थाने, दिनांक 25-02-2010.	ग्राम-छुरा तहसील-छुरा जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़ (अनुसूचित क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	• पत्रकारिता/जन संचार/मीडिया • कला/मानविकी (ह्यूमेनिटीज)/ सामाजिक विज्ञान • शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण • विधि • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्यक/ प्रबंधन/वित्त • पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, • ललित कला/कला प्रदर्शन/ दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/ पर्यटन/यात्रा • विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान • अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/डिजाइन • व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास • पैरामेडिकल/नर्सिंग • स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान • संस्कृत साऊडिग उपाधि में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• संस्कृत साऊडिग उपाधि में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम तथा एम. फिल. पीएचडी और अन्य अनुसंधान स्तरीय पाठ्यक्रम.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय, जिसने स्थापना के लिये आवेदन किया है तथा छत्तीसगढ़ राज्य निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के द्वारा अनुशंसित है, की स्थापना करना आवश्यक है.

अतएव, उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 15 जुलाई, 2016

प्रेमप्रकाश पाण्डेय
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) (संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा 9 (2) तथा अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :-

1. **धारा 9(2क) -**
"उक्त उपधारा (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, राज्य सरकार, दो वर्ष से अधिक समय पूर्व प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार कर सकेगी."

2. अनुसूची [धारा 9(1) के अन्तर्गत]

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नालाजी (आई सेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे ग्राम पंचायत-गुल्लू ग्राम-गुल्लू तहसील-आरंग जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम का प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक 2561 छ. ग. राज्य, दिनांक 08-01-2004	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्नालॉजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई. सी. एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय	दि आई. सी. एफ. ए. आई. सोसायटी रायपुर	छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002	ग्राम -चोरहा, आर. आई. सर्किल, अहिवारा तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	आई. टी. एम. विश्वविद्यालय	आई. टी. एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक - 2755 छ. ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प. ह. नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर, पिन-493661	छत्तीसगढ़	• कम्प्यूटर साईंस • इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी • बायो-टेक्नालॉजी • बायो-इंफॉर्मेटिक्स • कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • माइक्रोबायआलाजी • नैनोटेक्नोलॉजी • फार्मेसी • बीमा • शारीरिक शिक्षा • व्यवसाय प्रबंधन • ह्यूमैनिटीज • विधि • शिक्षा विज्ञान • स्वास्थ्य विज्ञान • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाइनिंग • पत्रकारिता एवं जनसंचार • प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.
6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	श्री रितनंद बलवेद इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस - 30655 सन् 1996, दिनांक 19-12-1996	ग्राम-मांठ तहसील-तिल्दा जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• कला, • विज्ञान, • वाणिज्य, • इंजीनियरिंग, • नैनो-टेक्नोलॉजी, • व्यवसाय प्रबंधन, • विधि, • हॉटल मैनेजमेंट, • फैशन डिजाईनिंग, विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	ओ. पी. जिंदल यूनिवर्सिटी	जिंदल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-बी. एस. 2171, दिनांक 04-05-1998	ओ. पी. जिंदल नालेज पार्क ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय, • मैनेजमेंट विज्ञान संकाय, • विज्ञान संकाय, • नैनो-टेक्नोलॉजी, • शिक्षा संकाय, • शारीरिक शिक्षा संकाय

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .